[2018] 3 एससीआर 627

प्रह्लाद शंकरराव ताजाले एवं अन्य।

बनाम

महाराष्ट्र राज्य द्वारा सचिव (राजस्व) एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 2601 वर्ष 2018)

08 मार्च, 2018

[अभय मनोहर सापरे व एस. अब्दुल नज़ीर, माननीय न्यायमूर्तिगण]

प्रैक्टिस एवं प्रोसीजर - प्रक्रियात्मक विधि बनाम मूल विधि - निर्माण - राज्य के राजस्व मंत्री द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं द्वारा योजित रिट याचिका, जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया गया - अपीलकर्ताओं द्वारा योजित अंतर न्यायालय अपील - खण्ड पीठ ने अपीलकर्ताओं को एकल न्यायाधीश के समक्ष पुनर्विचार याचिका योजित करने की स्वतंत्रता के साथ उक्त अपील वापस लेने की अनुमति दी -पुनर्विचार याचिका योजित करने में देरी के लिए माफी के आवेदन के साथ अपीलकर्ताओं द्वारा योजित पुनर्विचार याचिका - पुनर्विचार याचिका योजित करने में कुछ खामियां थीं और अपीलकर्ताओं को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दोषों को ठीक करने का निर्देश दिया गया था - अपीलकर्ताओं द्वारा त्रुटियां ठीक नहीं की गईं - उचित आदेश पारित करने के लिए रजिस्ट्रार (न्यायिक -1) के समक्ष सूचीबद्ध पुनर्विचार याचिका - रजिस्ट्रार ने अपीलकर्ताओं को दोषों को ठीक करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और यह भी निर्देश दिया कि दोषों को ठीक करने में विफल रहने पर पुनर्विचार याचिका के पंजीकरण से इनकार कर दिया जाएगा। यानी, इसके परिणामस्वरूप पुनर्विचार याचिका निरस्त हो जाएगी - उक्त आदेश को रद्द करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा योजित आवेदन, एकल न्यायाधीश द्वारा देरी के आधार पर निरस्त कर दिया गया - अपील पर, कहा गया: जहां तक संभव हो, प्रक्रियात्मक विधियों को पक्षकारों को दण्डित करने के लिए एक दण्डात्मक प्रावधान की तरह नहीं माना जाना चाहिए - मामले में शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को उदार होना चाहिए था और देरी को माफ कर देना चाहिए था और अपीलकर्ताओं को दोषों को ठीक करने के लिए एक और अवसर देना चाहिए था - आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया गया - उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा योजित आवेदन योजित करने में देरी को माफ कर दिया जाता है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

निर्धारित किया 1.1 प्रक्रियात्मक विधियों को जहां तक संभव हो सके पक्षकारों को दण्डित करने के लिए एक दण्डात्मक प्रावधान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। मामले में शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को इस मामले में एक दृष्टिकोण लेने में उदार होना चाहिए था और तदनुसार देरी को माफ कर देना चाहिए था और अपीलकर्ताओं को दोषों को ठीक करने के लिए एक और अवसर देना चाहिए था। न्याय के हित ने अपीलकर्ताओं को रजिस्ट्री के आदेशों का पालन करने के लिए एक और अवसर की मांग की। [पैरा 16, 17]

संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और अन्य,

एआईआर 1955 एससी 425: [1955] एससीआर 1 - पर भरोसा किया।

1.2 अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष योजित आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जाता है। अपीलकर्ताओं को उनके पुनर्विचार आवेदन में रजिस्ट्री द्वारा इंगित दोषों को ठीक करने के लिए अंतिम सीमा के रूप में एक महीने का समय दिया जाता है। [पैरा 19]

वाद विधि संदर्भ

[1955] एससीआर 1 पैरा 16 पर निर्भर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2601 वर्ष 2018

सिविल आवेदन संख्या 120/2016 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के दिनांक 18.07.2017 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं के अधिवक्तागण सुश्री दीपलक्ष्मी एस. मातवंकर, डॉ. रवींद्र चिंगाले, चंदर शेखर अश्री।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण निशांत कटनेश्वरकर, सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी।

न्यायालय का निर्णय माननीय अभय मनोहर सापरे द्वारा दिया गया

1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील 2016 के निरस्त किए गए केस संख्या 148 वर्ष 2016 के निरस्त किए गए केस संख्या 149 वर्ष 2016 के सिविल प्रार्थना पत्र संख्या 120 वर्ष 2016 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित की गयी है, जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने देरी के आधार पर अपीलकर्ताओं के आवेदन को निरस्त कर दिया था।

3. अपील में निहित छोटे प्रश्न का मूल्यांकन करने के लिए, कुछ तथ्यों के बुनियादी ढांचे का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उस कार्यवाही में रिट/पुनर्विचार याचिकाकर्ता थे, जिनमें से यह अपील उत्पन्न होती है। दिनांक 28.08.2012 को अपीलकर्ताओं ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 की रिट याचिका संख्या 8516 के रूप में एक याचिका योजित की जिसमें राज्य के राजस्व मंत्री (एमएच) द्वारा पारित दिनांक 14.05.2012 के आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया गया था। यह एक निश्चित भूमि विवाद के संबंध में था जिसके अंतर्गत अपीलकर्ताओं के पुनर्विचार आवेदन को निरस्त कर दिया गया था।

5. 27.11.2012 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं की रिट याचिका निरस्त कर दी। अपीलकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और खण्ड पीठ के समक्ष अंतर न्यायालय अपील (2013 का एलपीए संख्या 33) योजित की।

6. दिनांक 22.03.2014 के आदेश द्वारा, खण्ड पीठ ने अपीलकर्ताओं को अंतर न्यायालय अपील वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें उस आदेश के खिलाफ एकल न्यायाधीश के समक्ष पुनर्विचार याचिका योजित करने की स्वतंत्रता दी, जिसके द्वारा उनकी रिट याचिका निरस्त कर दी गई थी।

7. अपीलकर्ताओं ने तदनुसार 17.04.2014 को पुनर्विचार आवेदन (डब्ल्यू.पी.संख्या 8516/2012 में पुनर्विचार आवेदन संख्या 3330/2015) योजित किया। अपीलकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका योजित करने में देरी के लिए माफी के लिए भी आवेदन योजित किया।

8. उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के अनुसार, पुनर्विचार आवेदन के योजन में कुछ खामियां थीं। इसलिए, अपीलकर्ताओं को दोषों को ठीक करने का निर्देश दिया गया था ताकि पुनर्विचार आवेदन को उचित पीठ के समक्ष आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया जा सके।

9. चूंकि अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा इंगित दोषों का उपचार नहीं किया, इसलिए पुनर्विचार आवेदन योजित करने में उचित आदेश पारित करने के लिए 19.10.2015 को रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) के समक्ष पुनर्विचार आवेदन सूचीबद्ध किया गया था।

10. रजिस्ट्रार ने अपने दिनांक 19.10.2015 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषों को ठीक करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और साथ ही निर्देश दिया कि दोषों को ठीक करने में विफल रहने पर पुनर्विचार आवेदन के पंजीकरण से इनकार कर दिया जाएगा, यानी इसके परिणामस्वरूप पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11. रजिस्ट्रार द्वारा पारित दिनांक 19.10.2015 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने 2016 के सिविल एप्लीकेशन संख्या 120 के रूप में एक आवेदन योजित किया और उसमें रजिस्ट्रार द्वारा पारित 19.10.2015 के आदेश को रद्द करने और पुनर्विचार आवेदन संख्या 2015 की बहाली के लिए प्रार्थना की। 2015 की धारा 3330, जिसे रजिस्ट्रार के दिनांक 19.10.2015 के अनिवार्य आदेश का पालन न करने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

12. आक्षेपित आदेश द्वारा, एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं के आवेदन को अनिवार्य रूप से देरी के आधार पर निरस्त कर दिया, जिसने इस न्यायालय में रिट/पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील योजित करने को जन्म दिया है।

13. 05.03.2018 को, हमने महाराष्ट्र राज्य की विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, जो न्यायालय में उपस्थित थीं, से प्रतिवादी-राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करने का अनुरोध किया, ताकि हम अपील में शामिल छोटे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उस दिन अपील का निस्तारण कर सकें। विद्वान अधिवक्ता ने, हमारे अनुरोध पर, प्रतिवादी-राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया।

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और मामले के पत्रवाली के अवलोकन के बाद, हम अपील की अनुमति देने के इच्छुक हैं और आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए, हम पुनर्विचार आवेदन संख्या (एसटी 3330/2015) 2012 को विधि के अनुसार उपयुक्त पीठ द्वारा इसकी सुनवाई के लिए बहाल करते हैं।

15. इस मुद्दे से संबंधित आदेश के पैरा 8, 12 और 13 को निम्नानुसार पढ़ा गया है:

"8. पुनर्विचार याचिका में, कार्यालय ने 14 जुलाई, 2015 को आपत्तियां उठाईं। 1 जून, 2015 को चूंकि आवेदक सभी कार्यालय आपत्तियों को दूर करने में विफल रहे, अनुभाग अधिकारी ने नोट किया कि 14 जुलाई, 2015 को सभी कार्यालय आपत्तियां नहीं हटाई गई हैं। तत्पश्चात् यह मामला 15 जुलाई, 2015, 19 अगस्त, 2015, 21 सितम्बर, 2015 और 19 अक्तूबर, 2015 को रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) के समक्ष प्रस्तुत हुआ। कार्यालय की आपत्तियों को दूर करने के लिए रजिस्ट्रार (न्यायिक-I) के समक्ष आवेदकों

की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) ने 19 अक्टूबर, 2015 को सशर्त आदेश पारित किया, जिसमें सभी कार्यालय आपत्तियों को दूर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया, ऐसा नहीं करने पर मामले को निरस्त कर दिया जाएगा।

12. चूंकि आवेदक देरी के लिए पर्याप्त कारण का खुलासा करने में विफल रहे, इसलिए मेरी राय है कि आवेदकों ने सिविल आवेदन की अनुमति देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया है।

13. इसलिए, सिविल आवेदन निरस्त कर दिया जाता है।"

16. यह मामला हमें **संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और अन्य,** एआईआर 1955, एससी 425 में इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, विवियन बोस जे. द्वारा की गई उपयुक्त टिप्पणियों की याद दिलाता है। पीठ की ओर से बोलते हुए, अभिव्यक्ति की सूक्ष्म शक्ति के साथ लेखन की अपनी विशिष्ट शैली में माननीय ने न्यायालयों को याद दिलाया कि पक्षकारों के अधिकारों के संदर्भ में प्रक्रिया संहिता को कैसे माना जाना चाहिए, जो उनके जीवन और संपत्तियों को प्रभावित करता है। लॉर्डशिप ने याद दिलाया कि प्रक्रियात्मक विधियों को जहां तक संभव हो सके दण्डात्मक प्रावधान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। निम्नलिखित क्लासिक गद्यांश है, जिसका पालन हमेशा पक्षकारों के साथ पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाता है:

"एक प्रक्रिया संहिता को इस तरह माना जाना चाहिए, यह न्याय को सुविधाजनक बनाने और इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखित की गई प्रक्रिया है: यह सजा और दण्ड के लिए दण्ड अधिनियमन नहीं है; यह एक ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को ऊपर ले जाने के लिए रूपरेखित की गई हो। इसलिए ऐसी धाराओं का निर्माण जो व्याख्या की उचित लोच के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, उसके खिलाफ सुरक्षा की जानी चाहिए (बशर्ते कि हमेशा दोनों पक्षों के साथ न्याय किया जाए) ताकि न्याय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए गए साधनों का उपयोग इसे कुंठित करने के लिए किया जाए। हमारी प्रक्रिया के नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों की अनदेखी न की जाए, कि उनकी पीठ पीछे निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, कि उनके जीवन और संपत्ति को प्रभावित करने वाली कार्यवाही उनकी अनुपस्थिति में जारी नहीं रहनी चाहिए और उन्हें उनमें भाग लेने से रोका नहीं जाना चाहिए। बेशक, अपवाद होने चाहिए और जहां उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, उन्हें प्रभावी किया जाना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर और उस परंतुक के अध्यधीन, हमारी प्रक्रिया के नियमों को, जहां भी यथोचित रूप से संभव हो, उस सिद्धांत के आलोक में माना जाना चाहिए।"

17. हमारी राय में, उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और मामले में शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को इस मामले में एक दृष्टिकोण लेने में उदार होना चाहिए था और तदनुसार देरी को माफ कर देना चाहिए था और अपीलकर्ताओं को दोषों को ठीक करने के लिए एक और अवसर देना चाहिए था। न्याय के हित ने अपीलकर्ताओं को रजिस्ट्री के आदेशों का पालन करने के लिए एक और अवसर की मांग की।

18. परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और तदनुसार, अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है।

19. अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष योजित आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ किया जाता है। अपीलकर्ताओं को उनके पुनर्विचार आवेदन में रजिस्ट्री द्वारा इंगित दोषों को ठीक करने के लिए अंतिम सीमा के रूप में एक महीने का समय दिया जाता है।

20. अपीलकर्ताओं द्वारा दोषों का उपचार करने पर, पुनर्विचार आवेदन को विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए।

अपील स्वीकृत।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय